नई दिल्ली, 26 फरवरी, 2015

सा.का.नि. 41.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अखिल भारतीय मृदा और भू-उपयोग सर्वेक्षण संगठन (समूह ''ख'' राजपत्रित और अराजपत्रित अनुसचिवीय पद), भर्ती नियम, 1977, जहाँ तक उनका संबंध कार्यालय अधीक्षक के पद से है, को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, कृषि मंत्रालय, कृषि और सहकारिता विभाग, भारतीय मृदा और भू-उपयोग सर्वेक्षण में कार्यालय अधीक्षक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कृषि मंत्रालय, कृषि और सहकारिता विभाग, भारतीय मृदा और भू-उपयोग सर्वेक्षण, कार्यालय अधीक्षक, समूह ''ख'' पद भर्ती नियम, 2015 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. पद की संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान.—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण, वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन या वेतनमान वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं आदि.—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. निरर्हता.—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कार्यालय अधीक्षक	11* (2015) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख' अराजपत्रित (अननुसचिवीय)	वेतन बैंड-2, 9300—34800 रु. ग्रेड वेतन 4200 रुपये सहित	चयन	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(7)	(8)	(9)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	दो वर्ष

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा
(10)	(11)
(i) 55% प्रोन्नति द्वारा (ii) 45% प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) द्वारा।	**प्रोन्नति :–** (क) वेतन बैंड-1, 5200-20200 रुपए, ग्रेड वेतन 2400 रुपये सहित में ऐसा उच्च श्रेणी लिपिक, जिसने उस ग्रेड में दस वर्ष नियमित सेवा की हो और वरिष्ठ लेखाकार जिसने वेतन बैंड-1, 5200-20200 रुपए, ग्रेड वेतन 2800 रुपये सहित उस ग्रेड में छह वर्ष नियमित सेवा की हो; और (क) किसी मान्यताप्राप्त संस्थान से प्रशासन, स्थापन और लेखा कार्य में दो सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो । **टिप्पण 1 :** प्रोन्नति के लिए पात्रता सूची तैयार करते समय अधिकारियों द्वारा संबंधित ग्रेड या पद पर निर्धारित अर्हक सेवा पूरी करने की तारीख को ध्यान में रखा जाएगा । **टिप्पण 2 :** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। **टिप्पण 3 :** प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 01 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से, जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी। **प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) :–** केंद्रीय/राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों/पब्लिक सेक्टर के उपक्रमों/विश्वविद्यालया/मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थाओं/अर्ध

(11)

सरकारी या स्वायत्त निकायों या कानूनी संगठनों के अधीन ऐसे अधिकारी :–

(क)(i) जो मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण करते हों; या

(ii) जिन्होंने मूल संवर्ग या विभाग में वेतन बैंड-1 5200-20200 रु. ग्रेड वेतन 2800 रु. सहित या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् छह वर्ष की सेवा की है; और

(iii) जिन्होंने मूल संवर्ग या विभाग में वेतन बैंड-1 5200-20200 रु. ग्रेड वेतन 2400 रु. या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् दस वर्ष की सेवा की है ।

(ख) प्रशासन, स्थापना और लेखा कार्य में दो वर्ष का अनुभव रखते हों ।

टिप्पण 1 : पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । इसी प्रकार प्रतिनियुक्ति व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे ।

[प्रतिनियुक्ति की अवधि (अल्पकालिक संविदा सहित) प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित (अल्पकालिक संविदा सहित) जिसके अंतर्गत केन्द्र सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी । प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।]

टिप्पण 3 : प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 01 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से, जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तारित की गई है, आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के सम्बन्ध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :– 1. मुख्य मृदा सर्वेक्षण अधिकारी, भारतीय मृदा और भू-उपयोग सर्वेक्षण –अध्यक्ष 2. उप आयुक्त, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन/ वर्षा पोषित कृषि प्रणाली प्रभाग, कृषि मंत्रालय, कृषि और सहकारिता विभाग –सदस्य 3. अवर सचिव, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन/ वर्षा पोषित कृषि प्रणाली प्रभाग, कृषि मंत्रालय, कृषि और सहकारिता विभाग –सदस्य	प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) पर अधिकारी की नियुक्ति करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है ।

(12)	
4. सहायक मृदा सर्वेक्षण अधिकारी/कार्यालय प्रधान मुख्यालय, भारतीय मृदा और भू-उपयोग सर्वेक्षण	–सदस्य

[फा. सं. 16-8/2013-एनआरएम-II]

प्रदीप श्रीवास्तव, अवर सचिव

New Delhi, the 26th February, 2015

G.S.R. 41.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the All India Soil & Land Use Survey Organisation (Group 'B' Gazetted and Non-Gazetted Ministerial posts) Recruitment Rules, 1977, insofar as they relate to the post of Office Superintendant, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Office Superintendent in the Ministry of Agriculture, Department of Agriculture and Co-operation, Soil and Land Use Survey of India, namely:—

1. Short tide and commencement.— (1) These rules may be called the Ministry of Agriculture, Department of Agriculture and Co-operation, Soil and Land Use Survey of India, Office Superintendent Group "B" Post Recruitment Rules, 2015.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and pay band and grade pay or pay scale.— The number of the said post, its classification and the pay band and grade pay or pay scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit and other qualifications, etc.— The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

4. Disqualifications.— No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.— Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provision of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex- servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	Number of posts	Classification	Pay band and grade pay or pay scale	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Office Superintendent	11* (2015) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B' Non-Gazetted, Ministerial.	Pay band-2, Rs. 9300—34800 plus grade pay of Rs. 4200.	Selection	Not applicable

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
(7)	(8)	(9)
Not applicable	Not applicable	Two years.

Method of recruitment : Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion /deputation/ absorption, grades from which promotion/deputation/ absorption to be made
(10)	(11)
(i) 55% by promotion (ii) 45% by deputation (including short term contract)	**Promotion :-** (A) Upper Division Clerk in pay band-1 , Rs. 5200-20200 with grade pay of Rs. 2400 with ten years' regular service in the grade and Senior Accountant in pay band - 1, Rs. 5200-20200 with grade pay of Rs. 2800 with six years' regular service in the grade; and (B) have successfully completed traimng of two weeks in the field of administration, establishment and account work from a recognised institute. **Note 1 :** The eligibility list for the promotion shall be prepared with reference to the date of completion by the officers of prescribed qualifying service in the respective grade or post. **Note 2 :** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. **Note 3 :** For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to lst January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations have been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Commission. **Deputation (including short-term contract) :** Officers under Central/State Government/Union Territory administrations/Public Sector Undertakings/Universities/ recognised research institutions/semi-Government or autonomous bodies or statutory organisations: (A)(i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre/department;

	(11)
	or (ii) with six years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in pay band-1, Rs. 5200-20200 with grade pay of Rs. 2800 or equivalent in the parent cadre or department; or (iii) with ten years' service m the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in pay band-1, Rs. 5200-20200 with grade pay of Rs. 2400 or equivalent in the parent cadre or department; and (B) possessmg two years' expenience of establishment, administration and accounts work. **Note 1 :** The Departmental Officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. (Period of deputation (including short-term contract) including the period of deputation (including short-term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/department of the Central Government, shall ordinarily not to exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation (including short term contract) shall be not exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of applications. **Note 2 :** For purposes of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations have been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making the recruitment.
(12)	(13)
Group "B" Departmental Promotion Committee (for considering promotion consisting of) :— 1. Chief Soil Survey Officer, Soil and Land Use Survey of India —Chairman	Consultation with the Union Public Service Commission necessary while appointing an officer on deputation (including short-term ontract).

(12)	
2. Deputy Commissioner, Natural Resource Management/Rainfed Farming System Division, Ministry of Agriculture, Department of Agriculture and Co-operation	—Member
3. Under Secretary, Natural Resource Management/Rainfed Farming System Division, Ministry of Agriculture, Department of Agriculture and Co-operation	—Member
4. Assistant Soil Survey Officer/ Head of Office, Headquarter Office, Soil and Land Use Survey of India	—Member

[F.No.16-8/2013-NRM-II]

PRADEEP SRIVASTAVA, Under Secy.

नई दिल्ली, 27 फरवरी, 2015

सा.का.नि. 42.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और केन्द्रीय उर्वरक नियंत्रण प्रयोगशाला, फरीदाबाद (समूह ग और घ पद) भर्ती नियम, 1977 को जहां तक उसका संबंध उच्च श्रेणी लिपिक, निम्न श्रेणी लिपिक, प्रयोगशाला सहायक और प्रयोगशाला परिचारक के पदों से है तथा केन्द्रीय उर्वरक गुणवत्ता, नियंत्रण और प्रशिक्षण संस्थान, फरीदाबाद (आशुलिपिक श्रेणी-I, श्रेणी-II, श्रेणी-III,) समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2004 को, जहां तक उसका संबंध आशुलिपिक श्रेणी-III के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, कृषि मंत्रालय के कृषि और सहकारिता विभाग के अधीन केन्द्रीय उर्वरक गुणवत्ता, नियंत्रण और प्रशिक्षण संस्थान, फरीदाबाद में उच्च श्रेणी लिपिक, निम्न श्रेणी लिपिक, आशुलिपिक श्रेणी-II, प्रयोगशाला सहायक और प्रयोगशाला परिचर के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कृषि मंत्रालय, कृषि और सहकारिता विभाग, केन्द्रीय उर्वरक गुणवत्ता, नियंत्रण और प्रशिक्षण संस्थान, समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2015 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. लागू होना.—ये नियम इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ में विनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे।

3. पद संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान.—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन बैंड तथा ग्रेड-वेतन या उससे संलग्न वेतनमान वें होंगे, जो उक्त उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अर्हताएं, आदि.— भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

5. निरर्हता.— वह व्यक्ति, —

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

7. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।